हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पू.एफ समयम अर्जेन्ट
प्रा.प.स. 212 आर.टी. एक्ट

8.10.13 आज यह प्रा.पत्र धारा 212 आर.टी. एक्ट मार्फत वकील प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया गया कि आराजी विवादित हाल ख.सं. चाह 61 को ख.सं. 56 होने का मौका दिखाकर ख.सं. 61 वाके ग्राम नाथलवाडा तह. राजगढ मे कोई विद्युत कनेक्शन जारी नहीं करायें और ना प्रति. सं. 5, 6, 7 कोई कनेक्शन जारी नहीं करें और प्रति. सं. 7 कोई राजस्व प्रमाण पत्र ख.सं. 56 मे कनेक्शन हेतु जारी करें चूकि ख.सं. 56 मौके पर चाह नही है। साथ ही अप्रार्थीगण 1082, 1086, 1236/1439, 1237/1442, 1238, 1239/1440 वाके ख.सं. 55, 46, 62, 63, 64, 107, नाथलवाडा को चाह ख.सं. 61 से सिंचित करने मे रुकावट वो मजाहमत न करें। साथ मे शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

प्रा.पत्र प्रार्थी शपथ पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज पर विचार करते हुये अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से दि. 8/11/13 तक पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित आराजी चाह ख.सं. 61 को ख.सं. 56 होने का मौका दिखाकर ख.सं. 61 वाके नाथलवाडा मे कोई विद्युत कनेक्शन जारी न करें नही करायें। तथा अप्रार्थी सं. 5, 6, 7 कोई कनेक्शन जारी न करें अप्रार्थी सं. 7 कोई राजस्व प्रमाण पत्र ख.सं. 56 मे कनेक्शन हेतु जारी नही करें अप्रार्थीगण प्रार्थी को चाह ख.सं. 61 वाके नाथलवाडा तह. राजगढ से उक्त वर्णित विवादित आराजी से सिंचित करने मे रुकावट वो मजाहमत न करें। साथ मे नोटिस भी जारी हो कि इस सम्बन्ध मे उन्हे कोई एतराज हो तो दि. 8/11/13 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें दर्ज हों।

उप खण्ड अधिकारी, राजगढ

उप-खण्ड अधिकारी
राजगढ़ जिला-अलवर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
04/3/25 पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 19/8/25 को पेश हो। रीडर 19/8/25 पत्रावली पेश। वकु॰ उप॰। वास्ते जवाब दिनांक 16/9/25 को पेश हो। [signature] 16/9/25 पत्रावली पेश। वकु॰ उप॰ वास्ते जवाब दिनांक 8/10/25 को पेश हो। [signature] 08/10/25 पत्रावली पेश। मूलवाद अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी के तहत खारिज किया जा चुका है। अतः प्रासंगिक पत्र 212 RT Act की कार्यवाही बंद की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम हो कर मूलवाद के साथ संलग्न हो। [signature]	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़